न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 73 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 02.11.2020

रामनारायण पुत्र अम्बालाल जाति मीणा निवासी अलीपुरा भगवानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 –अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला–टोक –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 12.10.2020 मिसल नम्बर 1282 / 2020

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

दिनांक 28.04.2022

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 101,461 व 481 / 659 मे कुल रकबा 1.77 है0 किस्म बारानी–2 / गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम अलीपुरा भगवानपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर उडद की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 486 / रू. पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है और न ही अपीलांट की ऐसी स्थिति है की वह अतिक्रमण कर सके। [illegible] अपीलांट के विरूद्व गलत रिपोर्ट तैयार की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और न ही मौके का [illegible] किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नही करायी गई है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर हल काश्त की हो। अपीलांट ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:14:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 101,461 व 481/659 मे कुल रकबा 1.77 है0 किस्म बारानी–2/गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम अलीपुरा भगवानपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार उनियारा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर तीन माह की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 959/2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 101,461 व 481/659 मे कुल रकबा 1.77 है0 किस्म बारानी–2/गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम अलीपुरा–भगवानपुरा तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.04.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजीयात से मेरा कोई संबंध नही है। मैने उक्त आराजीयात पर से स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा मेरा उक्त आराजीयात पर कोई कच्चा,पक्का निर्माण नही है। भविष्य मे कभी भी मै उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण नही करूंगा और ना ही करने की भावना रखूंगा। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 959/2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तत अपील मीमो मे एंव न्यायालय हाजा मे दिनांक 28.09.2021 को प्रस्तुत शपथ पत्र पर अपीलांट के हस्ताक्षर है,जबकि न्यायालय हाजा मे दिनांक 27.04.2022 को प्रस्तुत शपथ पत्र अपीलांट का अंगूठा लगा हुआ है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 12.10.2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:14:58 IST
Reason: SelfAttested

चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक